माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म.प.

प्र. क्र.

PBR/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/3124

1: रामप्रसाद पुत्र पन्नालाल जातिमीना नि. जुझालपुरा
2: नारायणसिंह पुत्र पन्नालाल जातिमीना नि. जुझालपुरा
3: मंगलसिंह पुत्र रामप्रसाद जाति मीनानि. जुझालपुरा
4: श्रीलाल पुत्र नारायणसिंह जाति मीना नि. जुझालपुरा
5: अरविन्द पुत्र नारायणसिंह मीना निवासी जुझालपुरा
6: बबलू पुत्र नारायणसिंह जातिमीना निवासी जुझालपुरा
तहसील चाचौडा जिलागुना म.प्र........ रिवीजनकर्तागण

बनाम

1: रामस्वरूप पुत्र धीरजसिंह मीना निवासी जुझालपुरा
2: मर्दनसिंह पुत्र धीरजसिंहमीनानिवासी जुझालपुरा
3: गजराजसिंह पुत्र धीरजसिंह मीना निवासी जुझालपुरा
तहसील चाचौडा जिला गुना म.प्र......., प्रतिरिवीजनकर्ता

रिवीजनपत्र अन्तर्गत धारा 50 भू. रा. सं.

श्री .... द्वारा आज दि. 4-9-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4.9.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

==============================

माननीय न्यायालयश्रीमान नायब तहसीलदारमहोदय चाचौडा जिलागुनाम,प. केप्रकरणक्रमांक7अ70/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 29-8-17 से दुखी होकर यह रिवीजन अन्दर अवधिनियत न्यायशुल्क सहितश्रीमान के श्रवण क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत,प्रस्तुत है।

====================================

माननीयमहोदय,

1: रिवीजनपत्र का संक्षिप्त विवरणइसप्रकार हैं।

(अ) यहकि प्रतिरिवीजनकर्ता ने माननीय न्यायालयश्रीमान नायब तहसील दारमहोदय चाचौडाके न्यायालयमे इस आशय का आवेदनपत्र250 भू. रा. सं. के तहत,प्रस्तुत कियाकि न्यायालयश्रीमान यानि नायबतहसीलदारमहोदय के आदेशदिनांक 4-10-16 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघनहुआहै इस कारण पूर्व काप्रकरणक्रमांक 6अ70/15-16 आदेशदिनांक 4-10-16 को तलब किया किया जाकर सिविल जेलकी कार्यवाही करअर्थदण्ड से दण्डित किये जाने

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्र0 क्रमांक पीबीआर/निग/गुना//3124/2017

रामप्रसाद विरूद्ध रामस्वरूप

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-04-2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। 2- यह निगरानी नायब तहसीलदार चाचौड़ा जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 07/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यत: वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया गया है। निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में प्रश्नाधीन आदेश बैधानिक होने से से निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 5- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 11 एवं 151 सीपीसी का आवेदन अपने न्यायालय के आदेश दिनांक 4.10.16 एवं राजीनामा दिनांक 2.10.16 को आधार मानकर निरस्त कर दिया गया और अनावेदक के उक्त धारा 151 सीपीसी के आवेदन को स्वीकार करते हुए संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन में वर्ष 2016 के स्थान पर संशोधन करते हुए 2017 करने के आदेश दिए जाकर प्रकरण आवेदक साक्ष्य तथा मूल आवेदन के जबाब हेतु नियत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि आवेदक के आवेदन	

प्र0 क्रमांक पीबीआर/निग/गुना//3124/2017

रामप्रसाद विरूद्ध रामस्वरूप

को निरस्त करने का जो आधार राजीनामा दिनांक 2.10.2016 को माना गया है यह पूर्णत: त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजीनामा दिनांक 2.10.16 में क्या राजीनामा हुआ तथा किन शर्तो पर विवाद का राजीनामा में निराकरण हुआ अंकित नहीं है सिर्फ यह अंकित है कि राजीनामा हो गया है। वहीं आदेश दिनांक 4.10.16 का प्रश्न है तो उसके निराकरण का आधार राजीनामा दिनांक 2.10.16 को बनाया गया है। ऐसी स्थिति में राजीनामा दिनांक 2.10.16 पूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें राजीनामा का कोई आधार स्पष्ट नहीं है कि राजीनामा किन शर्तो के आधार पर किस प्रकार हुआ है। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाना आधार हीन है। जहां तक वर्ष सुधार का जो आदेश दिया गया है उसमें किसी भी पक्ष के हित नुचित रूप से प्रभावित होने की वर्तमान में कोई संभावना नहीं है।

अत: प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस स्तर पर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष को अपना-अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है जहां पर वे अपना पक्ष रख सकते हैं। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे 29.08.2017 के बिन्दु के के संबंध में राजीनामा के आधार पर लिए गये निर्णय के संबंध में पुनर्विवेचना कर विधिवत बाद बिन्दु के संबंध में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं संहिता की धारा 250 के मूल आवेदन पत्र के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उपस्थित बाद बिन्दु के निराकरण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण के निराकरण में सक्षम न्यायालय का सहयोग करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य